

सरकारी प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन पर दिशानिर्देश
(25 मार्च 2010 के परिपत्र आंक्रमणिका.डीओडी.07/11.01.09 का अनुलग्नक)

स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन

विद्यमान सरकारी प्रतिभूति के आवधिक कूपन भुगतान को व्यापार योग्य जीरो कूपन प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया स्ट्रिपिंग है जिनका सामान्यतया बाजार में बट्टे पर कारोबार होगा तथा उनका मोचन अंकित मूल्य पर किया जाएगा । इस प्रकार, पाँच वर्षीय प्रतिभूति से 10 कूपन प्रतिभूतियाँ (जो कूपन मानी जाएँगी) प्राप्त होंगी जो उनकी कूपन तारीखों को परिपक्व होंगी तथा एक मूल प्रतिभूति मूल राशि की होगी और यह पाँच वर्षीय प्रतिभूति की मोचन तारीख को परिपक्व होगी । पुनर्गठन स्ट्रिपिंग की विपरीत प्रक्रिया है जहाँ कूपन स्ट्रिप्स और मूल स्ट्रिप्स को एक मूल सरकारी प्रतिभूति में पुनर्गठित किया जाता है ।

2. सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के खण्ड 11(2) के स्पष्टीकरण के अनुसार किसी सरकारी प्रतिभूति को विशिष्ट शर्तों के अधीन उसके धारक से प्राप्त आवेदन पर उसके ब्याज और मूलधन के लिए अलग से स्ट्रिप अथवा पुनर्गठित किया जा सकता है । तदनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग तथा/अथवा पुनर्गठन के लिए शर्तों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 16 अक्टूबर 2009 की अधिसूचना आंक्रमणिका.1762/2009-10 द्वारा अधिसूचित किया गया है (अनुबंध I) ।

स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन की प्रक्रिया

3. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) के अंतर्गत स्वचलित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा । स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन की प्रक्रिया एक "स्ट्रेट थ्रू" प्रक्रिया होगी जिसमें हस्तचालित हस्तक्षेप नहीं होगा । स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए अनुरोध एनडीएस पर बाजार सहभागियों द्वारा सृजित और अनुमोदित किया जाएगा तथा उसके बाद उसे प्राधिकरण के लिए उनके पसंद के प्राथमिक व्यापारी को भेज दिया जाएगा । पीडी के प्राधिकरण के बाद ऐसे अनुरोध प्रणाली (पीडीओ-एनडीएस) पर प्राप्त करके उन पर कार्रवाई की जाएगी और सृजित स्ट्रिप्स/पुनर्गठित प्रतिभूतियों के लिए अनुरोध करने वाले सहभागियों के खातों में आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियाँ की जाएंगी । सहभागियों द्वारा स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए किए गए अनुरोधों पर एनडीएस द्वारा प्रतिभूतियों की वैधता, उपलब्ध शेष राशि जैसी आवश्यक वैधता जाँच की जाएगी । तथापि सहभागियों से अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए अनुरोध करते समय उनके खाते में पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध है ।

4. सामान्यतया, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए आइएसआइएन प्रतिभूतियों की नीलामी के समय दी जाती है । तथाप, स्ट्रिप्स के मामले में, क्योंकि ये प्रतिभूतियाँ सहभागी के अनुरोध पर सृजित की

जाती हैं, आइएसआइएन तथा स्ट्रिप्स का नाम पहले से निर्धारित एल्गोरिदम द्वारा सृजित किया जाता है (अनुबंध 2 देखें) ।

5. प्रत्येक स्ट्रिप्स (कूपन तथा मूल) का अंकित मूल्य 100 स्पये होगा ।

पात्रता

6. सरकारी प्रतिभूतियों, जो स्ट्रिपिंग/ पुनर्गठन के पात्र हैं, के शेष धारित करने वाले व्यक्तियों सहित कोई भी संस्था, (समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किए अनुसार), इन प्रतिभूतियों को स्ट्रिप्स/पुनर्गठित करा सकते हैं । तथापि, पात्र सरकारी प्रतिभूतियों/स्ट्रिप्स की अपनी शेष राशि की स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के इच्छुक सहभागी (गैर-पीडी) किसी एक प्राथमिक व्यापारी का चयन करके स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए एनडीएस पर अपना अनुरोध सृजित कर सकते हैं । गैर-पीडी सदस्यों द्वारा स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए किए गए ऐसे अनुरोध पीडी द्वारा प्राधिकृत किए जाएंगे तथा उसके बाद एनडीएस को उचित कार्वाई (स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन) के लिए भेजे जाएंगे । गिल्ट खाताधारकों द्वारा स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन का अनुरोध उनके अपने अभिरक्षकों के समक्ष रखा जाएगा जो अपने ग्राहकों की ओर से एनडीएस में अनुरोध करेंगे । चूंकि स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन की अनुमति केवल इलैक्ट्रॉनिक रूप में ही है, सरकारी प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के इच्छुक सहभागियों का एसजीएल खाता भारतीय रिजर्व बैंक के पास होना चाहिए अथवा उस अभिरक्षक के पास गिल्ट खाता होना चाहिए जिसका सीएसजीएल खाता भारतीय रिजर्व बैंक के पास हो । प्राथमिक व्यापारी स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए सीधे एनडीएस में अनुरोध कर सकते हैं तथा उन्हें किसी अन्य पीडी के माध्यम से आने की आवश्यकता नहीं है ।

7. आरंभ में सभी प्राथमिक व्यापारी स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन प्राधिकृत करने के पात्र होंगे । तथापि, रिजर्व बैंक अपने विवेक के आधार पर किसी प्राथमिक व्यापारी को ऐसा अनुरोध प्राधिकृत करने के लिए इनकार कर सकता है । स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत करते समय बाजार भागीदारों को अपना पीडी चुनने की स्वतंत्रता होगी । स्ट्रिप्स में पीडी की भूमिका मार्केट मेकर की होगी और वह बाजार में दो तरफी बोली लगाएगा ।

समय

8. स्ट्रिपिंग के लिए अनुरोध केवल 9.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न के बीच ही किया जा सकेगा । प्रणाली (पीडीओ-एनडीएस) द्वारा प्राप्त स्ट्रिपिंग के सभी अनुरोधों पर 2.00 बजे अपराह्न में कार्वाई की जाएगी तथा स्ट्रिपिंग के कारण स्ट्रिप्स की देय राशि (कूपन तथा मूल राशि) सहभागियों के एसजीएल खाते में जमा करने के लिए प्रविष्टियाँ पारित की जाएंगी । 2.00 बजे अपराह्न तक प्राधिकृत न किए गए अनुरोध सिस्टम द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाएंगे । किसी भी कारोबार/कार्य दिवस को स्ट्रिपिंग अनुरोध 2.00 बजे अपराह्न के बाद अनुमोदित/प्राधिकृत नहीं किए जाएंगे ।

9. इसी प्रकार, पुनर्गठन के लिए अनुरोध 9.00 बजे पूर्वाह्न और 2.00 बजे अपराह्न के बीच प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तथापि, पुनर्गठन के लिए अनुरोधों पर ऑनलाइन कार्डवाई की जाएगी अर्थात् पीडी द्वारा ऐसे अनुरोध प्राधिकृत किए जाने पर तथा पर्याप्त और आवश्यक शेष राशि उपलब्ध होने पर आवेदक सहभागी के खाते में आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियाँ तुरंत पारित की जाएंगी। तथापि ऊपर पैराग्राफ 8 में निर्दिष्ट किए अनुसार 2.00 बजे अपराह्न तक प्राधिकृत न किए गए पुनर्गठन के अनुरोध प्रणाली द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। किसी भी कारोबार/कार्य दिवस को 2.00 बजे अपराह्न के बाद पुनर्गठन का कोई भी अनुरोध अनुमोदित/प्राधिकृत नहीं किया जाएगा। चूंकि पुनर्गठन के अनुरोधों पर कार्डवाई ऑन लाइन होती है, ऐसे अनुरोध जब भी किसी पीडी के माध्यम से आए, पीडी द्वारा सिस्टम अधिसूचना (प्राधिकरण का अनुरोध) की प्राप्ति के 15 मिनट के भीतर प्राधिकृत कर दिए जाएँ।

पात्र प्रतिभूतियाँ

10. भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए पात्र प्रतिभूतियों को अधिसूचित करता रहेगा। आरंभ करते हुए, भारत सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ, अस्थायी दर बॉण्डों को छोड़कर, जिनकी कूपन तारीख 2 जनवरी और 2 जुलाई है, स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए पात्र होंगी। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा जारी बकाया प्रतिभूतियाँ, अस्थायी दर बॉण्डों को छोड़कर, जिनकी कूपन तारीखें/परिपक्वता अवधि 2 जनवरी और 2 जुलाई है, चाहे उनका परिपक्वता का वर्ष कोई भी हो, स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन की पात्र होंगी।

स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए न्यूनतम राशि

11. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियों की न्यूनतम राशि 1 करोड़ रु (अंकित मूल्य) और उसके गुणजों में होनी चाहिए।

लेखांकन और मूल्यांकन

12. स्ट्रिप्स, जीरो कूपन प्रतिभूतियाँ होने के कारण, का कारोबार बट्टे पर किया जाता है तथा अंकित मूल्य पर उनका मोचन किया जाता है। इस प्रकार स्ट्रिप्स का मूल्यांकन और लेखांकन जीरो कूपन बॉण्ड के स्वयं में तथा बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदण्डों पर 1 जुलाई 2009 के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के मास्टर परिपत्र के पैरा 3.7.2 द्वारा निर्धारित किए अनुसार किया जाएगा।

13. स्ट्रिप्स के मूल्यांकन के लिए आरंभ में प्रयोग की जाने वाली छूट की दरें बाजार आधारित होनी चाहिए। तथापि, कारोबार की गई जीरो कूपन दरें उपलब्ध न होने पर उनके स्थानपर फिमडा द्वारा प्रकाशित जीरो कूपन आय का प्रयोग किया जाना चाहिए।

14. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के परिणामस्वरूप एसजीएल खातों में लेखांकन प्रविष्टियाँ अंकित मूल्य पर पारित की जाएंगी । अतः सहभागी द्वारा स्ट्रिपिंग के लिए अनुरोध करने पर इस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत सरकारी प्रतिभूति का अंकित मूल्य उसके एसजीएल खाते में नामे डाला जाएगा तथा उसी समय कूपन स्ट्रिप्स (सकल कूपन राशि के बराबर) का कुल अंकित मूल्य तथा मूल स्ट्रिप्स (सरकारी प्रतिभूति के अंकित मूल्य के बराबर) का अंकित मूल्य जमा किया जाएगा । परिशिष्ट 3 में एक उद्धरण दिया गया है ।

15.1. तथापि स्ट्रिपिंग के दिन स्ट्रिप्स की पहचान उनके छूट प्राप्त मूल्य पर तथा उसी समय इस सरकारी प्रतिभूति की पहचान रद्द की जानी चाहिए । पुनर्गठन के लिए लेखांकन प्रक्रिया स्ट्रिपिंग के बिलकुल विपरीत होनी चाहिए । स्ट्रिप्स के लेखांकन के लिए विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार है ।

15.2. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन से अपने आप में कोई लाभ/हानि नहीं होनी चाहिए । जैसा कि स्ट्रिप्स का जेडसीवाइसी का उपयोग करते हुए वर्तमान बड़े खाते डाला गया मूल्य (कूपन तथा मूलधन) प्रतिभूति के अंकित मूल्य/बाजार मूल्य के बराबर नहीं होगा, स्ट्रिप्स का मूल्य एक घटक का प्रयोग करते हुए सामान्य किया जाएगा जो उस प्रतिभूति के अंकित मूल्य अथवा बाजार मूल्य (जो भी कम हो) तथा उस प्रतिभूति से सृजित सभी स्ट्रिप्स के बाजार मूल्य के कुल जोड़ का अनुपात होगा (उद्धरण परिशिष्ट 4 में दिया गया है) । इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्ट्रिप्स के बाजार मूल्य का जोड़ प्रतिभूति के अंकित मूल्य/बाजार मूल्य, जो भी कम हो, के बराबर होगा ।

15.3. बैंक अपने निवेश संविभाग के एएफएस/एचएफटी के अंतर्गत धारित पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को स्ट्रिप कर सकता है । तथापि, यदि स्ट्रिप का सृजन एचटीएम श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों में से किया जाना है तो प्रतिभूति का अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी में किए जाने की आवश्यकता है । स्ट्रिपिंग के प्रयोजन हेतु एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों का अंतरण, बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदण्डों पर 1 जुलाई 2009 के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के मास्टर परिपत्र द्वारा संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार होगा ।

15.4. यदि स्ट्रिप्स का सृजन एचटीएम संविभाग में धारित प्रतिभूतियों से होगा तो प्रतिभूतियों का अंतरण एचटीएम श्रेणी से एएफएस/एचएफटी श्रेणी में होगा (एचटीएम से अंतरण व्यवस्था के अनुसार अर्थात् दिनांक 1 जुलाई 2009 के उक्त मास्टर परिपत्र के अनुसार वर्ष के आरंभ में वर्ष में एक बार होगा) तथा अंतरित प्रतिभूति अंकित मूल्य/बाजार मूल्य की न्यूनतम राशि आगे ले जायी जाएगी । मूल्य-यस होने पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसे पहले के समान अनदेखा कर दिया जाएगा । उसके बाद अंकित मूल्य/बाजार मूल्य में से न्यूनतर का उपयोग प्रत्येक स्ट्रिप के बाजार मूल्य को अंकित मूल्य/बाजार मूल्य तक सामान्य करने के लिए किया जाएगा । स्ट्रिपिंग के बाद विद्यमान प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य/बाजार मूल्य की पहचान समाप्त कर दी जाएगी तथा स्ट्रिप्स का सामान्य मूल्य कर दिया जाएगा जिसका कुल जोड़ अंकित मूल्य/बाजार मूल्य के

बिल्कुल बराबर होगा (जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि स्ट्रिपिंग के कारण कोई लाभ या हानि नहीं हुई है)। एचटीएम से प्रतिभूति के अंतरण के कारण हुई मूल्यवृद्धि को अनदेखा कर दिया जाएगा। एएफएस/एचएफटी संविभाग से स्ट्रिप की गई प्रतिभूतियों के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

स्ट्रिप्स की एसएलआर स्थिति

16. स्ट्रिप्स की पहचान एसएलआर प्रयोजनों के लिए पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के स्वयं में की जाएगी तथा उनमें सरकारी प्रतिभूतियों की सभी विशेषताएँ होंगी। वे बाजार रिपो के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो के लिए, उचित कॉट-छॉट सहित, पात्र प्रतिभूतियाँ होंगी।

स्ट्रिप्स में कारोबार

17. आरंभ में स्ट्रिप्स पर ओटीसी बाजार में ही कारोबार किया जा सकेगा। अतः स्ट्रिप्स में कारोबार ओटीसी बाजार में किया जाएगा तथा सीसीसआइएल के माध्यम से समाशोधन और समायोजन के लिए एनडीएस को रिपोर्ट किया जाएगा।

18. स्ट्रिप्स की मंदड़िया बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

19. जिन स्ट्रिप्स/प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए अनुरोध किया गया है, सहभागी उन्हें पहले बेच नहीं सकते। तदनुसार, सहभागियों द्वारा स्ट्रिप्स/प्रतिभूतियों का बिक्री लेन-देन प्रतिभूतियों के स्ट्रिप्स/पुनर्गठन तथा सहभागियों के एसजीएल खाते में दर्शाए जाने के बाद ही होगी।

शुल्क और प्रभार

20. रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं करेगा। साथ ही, आरंभ में, प्राथमिक व्यापारी, जो पीडीओ-एनडीएस में स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए अनुरोध प्राधिकृत करने के लिए "प्राधिकृत संस्थाएँ" हैं, इस गतिविधि के लिए सहभागियों से कोई प्रभार नहीं लेंगे।